प्रार्थना पत्र 340 सीआरपीसी **प्रकरण संख्या 51/2022** (GCMS : 2022/79) **सुमित गोयल पुत्र राम निवास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 5 एल 5 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर बनाम नीरज अग्रवाल मुख्य प्रबन्धक**, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक) क्षेत्रीय कार्यालय, बीरा मार्ग, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन था कि उनके द्वारा दिनांक 04.02.2015 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉसर्म शाखा नगर परिषद्, श्रीगंगानगर से अपनी फर्म मै. सुमित एग्रो फूड श्रीगंगानगर के नाम से एक करोड रूपये की सीसी लिमिट जारी करवाई थी और दिनांक 25.03.2016 को जिसे तीन करोड की जारी करवाई गई।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी की फर्म की पच्चपन लाख रूपये की लिमिट एनपीए होने का नोटिस दिनांक 05.07.2017 को प्रार्थी की फर्म को प्रेषित किया गया था जिसका जवाब प्रार्थी सुमित गोयल द्वारा दिनांक 03.08.2017 को बैंक को दिया गया था, परन्तु अप्रार्थी द्वारा पिचपन लाख रूपये की लिमिट का नोटिस बताकर न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय से एक करोड रूपये की लिमिट एनपीए दिखाकर न्यायालय से आदेश जारी करवा लिया।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी की फर्म की एक करोड़ रूपये की लिमिट कभी एनपीए नहीं हुई थी तथा ना ही प्रार्थी की फर्म को एक करोड़ रूपये की लिमिट एनपीए होने का नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) सरफेसी अधिनियम जारी किया गया था, के बावजूद भी न्यायालय से मिथ्या दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित करवाया गया है। इसलिए प्रार्थी बैंक के विरूद्ध न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य पेश करने एवं न्यायालय को गुमराह करने तथा प्रार्थी की सम्पत्ति दोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पूर्ण तरीके से हड़प करने के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया जाकर कानूनी सजा फरमाई जावे।

मैने, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 02.04.2019 को प्रस्तुत किया था और जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2019 को आदेश पारित कर प्रार्थी बैंक को अप्रार्थी ऋणी की अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश दिये गये थे, जिसके विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता ने 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है निवेदन किया है कि प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय में गलत तथ्य बताकर एवं मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर एवं न्यायालय को गुमराह का आदेश पारित करवाया है।

इस न्यायालय द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक की सुनवाई कर दिनांक 01.05.2019 को निर्णय पारित किया गया हैं। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 एक विशेष अधिनियम है, जिसमें किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी के साथ वास्तव में कुछ गलत हुआ है तो प्रार्थी को पुलिस या सिविल न्यायालय/सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, न की इस न्यायालय के समक्ष। **इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता** है। **यह आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर